उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग'-1
संख्या- 5/2017/ 821/ 71-आयुष-1-2017-620/2013
लखनऊ; दिनांक 28 मार्च, 2017

शुद्धि-पत्र

राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नवीन परिसर में 200 छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-4/2017/604/71-आयुष-1-2017-620/2013 दिनांक 23 मार्च, 2017 के प्रस्तर'-2 (द्वितीय क्रम) में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 33 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 06-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहद् निर्माण कार्य के स्थान पर त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 33 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहद् निर्माण कार्य अंकित हो गया है।

2- अतएव उक्त लेखाशीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहद् निर्माण कार्य के स्थान पर के लेखाशीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 06-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहद् निर्माण कार्य पढा जाये।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2017 इस सीमा संशोधित समझा जाये।

ऋषिकेश दुबे
उप सचिव।

संख्या-5/2017/821(1)/71-आयुष-1-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
(7) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।